न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट भजेडा)

वाद संख्या :– 02/262/2015

लटूर बनाम रामकृपाल वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 28.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट भजेडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 08.08.2005 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1257/0.70, 1258/0.52, 1259/0.25, 1260/0.22, 1261/0.32 वाके ग्राम दुब्बी तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 26.09.2005 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की राजस्व रिकॉर्ड व कब्जे की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आकर जवाब पेश किया हुआ है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आराजी विवादित पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2060–63 खाता संख्या 234 वाके ग्राम दुब्बी के अंकित इन्द्राज के अनुसार सहखातेदारी की आराजी है। वादी द्वारा वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है। सहखातेदारी की आराजी होने से अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1257/0.70, 1258/0.52, 1259/0.25, 1260/0.22, 1261/0.32 वाके ग्राम दुब्बी तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 08.08.2005 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 कैम्प कोर्ट भजेडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट भजेडा)